रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73 ] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2000 / ज्येष्ठ 8, 1922
No. 73] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2000/JYAISTHA 8, 1922

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2000

**सं. टीएएमपी/101/99-सीपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार मैसर्स सेंट्रांस मेरिटाइम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आवेदन-पत्र का निपटान करता है।

अनुसूची

## मामला सं0 टीएएमपी / 101 / 99—सीपीटी

मैसर्स सेंट्रांस मेरिटाइम प्राइवेट लिमिटेड . . . आवेदक

बनाम

कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) . . . प्रतिवादी

## आदेश

(मई, 2000 के 12वें दिन को पारित किया गया)

1.1 यह मामला मैसर्स सेंट्रांस लिमिटेड से प्राप्त एक आवेदन–पत्र से संबंधित है, जिसमें उन्होंने उनके 'तटीय' पोत एम.टी. सेंजियो के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) / हल्दिया डॉक कॉम्पलैक्स(एचडीसी) द्वारा अधिक प्रभार लगाए जाने का आरोप लगाया है ।

1.2 मैसर्स शिवा मार्केटिंग लिमिटेड से इसी प्रकार के अन्य आवेदन–पत्र पर कार्रवाई करते हुए इस प्राधिकरण ने एमटी. सेंजियो के संबंध में मामला सं0 टीएएमपी/12/2000–सीपीटी में एक आदेश पारित किया है ।

2. जांच करने पर पता चला है कि ये दोनों आवेदन–पत्र एक ही पोत से संबंधित हैं और कार्रवाई करने के लिए समान मुद्दा है । मैसर्स सेंट्रांस मेरिटाइम प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स शिवा मार्केटिंग लिमिटेड के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए उसी मामले में स्पष्टतः दूसरा आवेदन–पत्र दाखिल किया है ।

3. विवादग्रस्त मामला मैसर्स शिवा मार्केटिंग लिमिटेड के आवेदन–पत्र से उत्पन्न (अन्य) मामले में पूरी तरह और अंतिम तौर पर निपटा दिया गया था । इस स्थिति में इस मामले में कार्रवाई का मुद्दा समाप्त हो जाता है । उपर्युक्त के आलोक में हर हालत में यह एक अनावश्यक कार्यवाही थी ।

4. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों तथा समग्र ध्यान दिए जाने के आधार पर मैसर्स सेंट्रांस मेरिटाइम प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन–पत्र को निष्फल के रूप में रद्द किया जाता है ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/2000]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2000

**No. TAMP/101/99-CPT.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the application made by M/s. Sentrans Maritime Private Limited, as in the Order appended hereto.

**SCHEDULE**

## Case No.TAMP/101/99-CPT

**M/s. Sentrans Maritime Private Limited --- Applicant**

Vs

**The Calcutta Port Trust (CPT) --- Respondent**

## ORDER

( Passed on this 12th day of May 2000. )

1.1. This case relates to an application from M/s. Sentrans Maritime Private Limited about alleged over-charging by the Calcutta Port Trust (CPT)/ Haldia Dock Complex (HDC) for their 'coastal' vessel *M.T.SANZIO*.

1.2. Acting on another similar application from M/s. Shiva Marketing Limited, this Authority has passed an Order about *M.T.SANZIO* in Case No.TAMP/12/2000-CPT.

2. Scrutiny has confirmed that both these applications pertain to the same vessel and have the same cause of action. M/s. Sentrans Maritime Private Limited had apparently filed a second application about the same matter, acting as the Agents of M/s. Shiva Marketing Limited.

3. The matter in dispute was substantively and finally disposed of in the (other) case arising out of the application of M/s. Shiva Marketing Limited. In the event, the cause of action in this case is abated. In the light of what has been stated above, in any case, this was a superfluous proceeding.

4. In the result, for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the application of M/s. Sentrans Maritime Private Limited is dismissed as infructuous.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt./III/IV/Exty/143/2000]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.